

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी

तेजकरण

मुकाम-रूपनगढ़ जिला अजमेर

बनाम

तकसुण

किस्म मुकदमा :- 88, 188, R.T Act

नंबर ... 243 वर्ष 2014

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>खारिज किया जाता है पत्रावली वास्ते प्रतिवादी साह्य हेतु दिनांक 23-1-25 को पेश हो गे</p> <p>उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)</p> <p>23-1-25 बार एसो. स्थगन पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. P.O. साहब दारे/अवकाश पर पधारे है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 20-1-25 को पेश हो</p>	
	<p>30-1-25 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। वकील प्रतिवादी ने जाहिर किया कि प्रकरण में प्रतिवादी साह्य पेश नहीं किया जाना है अतः प्रतिवादी साह्य बन्द किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 13-2-25 को पेश हो गे</p> <p>उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)</p>	
	<p>13-2-25 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। बहस हेतु समय चौड़ा। समय दिया जाकर पत्रावली दिनांक 20-2-25 को पेश हो गे</p> <p>उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)</p>	
	<p>20-2-25 बार एसो. स्थगन पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. P.O. साहब दारे/अवकाश पर पधारे है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 27-2-25 को पेश हो</p>	
	<p>27-2-25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनुपस्थित। वकील प्रतिवादी उपस्थित। बार-बार आवन</p>	

मु. नं. 243/14 तेजकरण/लक्ष्मण

दिलवाएँ गयीं बार-बार आवाज दिलवाने के
बावजूद वादी व वकील वादी में से कोई उपस्थित
नहीं। अतः अदम हाजरी/अदम पेशी में वादी
का वाद खारिज किया जाता है
पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर
से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
रुपनाद (अजमेर)